62

माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. 4182/III/2014 ~~निगरानी~~ विविध

राजकुमार जैन...आवेदक

विरुद्ध

गणेशिया एवं अन्य...अनावेदकगण

आवेदन पत्र वास्ते आदेश दिनांक 26/08/2016 मे संशोधन किये जाने

श्रीमान महोदय,

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से आवेदन निम्नींकित प्रस्तुत है–

1 यहकि, निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार रघुराजनगर सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02/08/2013 प्रस्तुत की गई थी। उक्त प्रकरण मे सर्वे क0 410/1 लगायत 410/4 के बीच मे राजस्व निरिक्षक द्वारा 410/5 एवं 410/6 तरमीम करने की अवैधानिकता की थी। जिसे चुनौती दी गई थी।

2 यहकि, उक्त निगरानी मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26/08/2016 को आदेश पारित किया जा चुका है। उक्त आदेश मे सभी जगह 410/1 लगायत 410/4 एवं 410/5 एवं 410/6 का उल्लेख किया गया लेकिन आदेश के पृष्ठ क0 4 की पंक्ति क0 16 में टाइपिग त्रुटि से क0 210/1 लगायत 210/4 तथा पंक्ति क0 17 मे सर्वे क0 210/5 एवं 210/6 अंकित हो गया है। जिसे संशोधन कर 410/1 लगायत 410/4 एवं 410/5 एवं 410/6 अंकित किया जाना न्याय हित मे उचित व आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि निगरानीकर्ता का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 26/08/2016 मे सर्वे क0 210/1 लगायत 210/4 एवं 210/5 तथा 210/6 के स्थान पर 410/1 लगायत 410/4 एवं 410/5 तथा 410/6 किये जानें के आदेश दिये जाने की कृपा की जावे।

दिनांक– //2016

प्रार्थी

राजकुमार जैन

द्वारा अभिभाषक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेष–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेष पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9171–दो/16 **जिला** सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–9–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि इस न्यायालय में मुल निगरानी प्रकरण कमांक 4182–तीन/2014 में पारित आदेश दिनांक 26–8–16 के पृष्ठ कमांक 4 में 410/1 लगायत 410/4 तथा 410/5 एवं 410/6 के स्थान पर 210/1 लगायत 210/4, 210/5 एवं 210/6 टंकित हो गया है। वास्तव में सर्वे कमांक 410 है। अतः टाईपिंग त्रुटि को सुधार किया जाये। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के समर्थन मूल आदेश का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक के तर्कों से सहमत होते हुये मूल प्रकरण के पृष्ठ कमांक 4 पर टंकित सर्वे कमांक 210/1 लगायत 210/4, 210/5 एवं 210/6 को 410/1 लगायत 410/4, 410/5 एवं 410/6 पढ़ा जाये। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग होगी। सदस्य	